शासनादेश संख्या बी-3-4166/दस-95-10(29)/95

[दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 का संलग्नक

भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृति के लिए 10/5 वर्ष से कम अवशेष सेवाकाल रहने पर वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के नियम 244एच(2) के शिथिलीकरण हेतु शासनादेश संख्या बी-3-4166/दस-95-10(29)/95, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले आदेश का मानक प्रपत्र—

1. कर्मचारी का नाम
2. पदनाम
3. जन्मतिथि
4. अधिवर्षता की तिथि
5. अग्रिम स्वीकृति के दिनांक को—
   (क) अवशेष सेवाकाल वर्ष.........माह..........
   (ख) वेतनमान (ब्रेक-अप सहित)
   (ग) वर्तमान वेतनमान में वेतनवृद्धि का दिनांक
6. मूल वेतन
7. मूल वेतन पर अनुमन्य भत्ते
8. कुल परिलब्धियाँ (6-7)
9. वेतन से हो रही कटौतियों का विवरण—
   (1) भविष्य निर्वाह निधि
   (2) भविष्य निर्वाह निधि से लिए गए अग्रिम की वापसी
   (3) सामूहिक बीमा
   (4) मकान किराया
   (5) आयकर
   (6) अन्य

....

योग

....

10. शुद्ध वेतन (2—9)
11. अग्रिम का प्रयोजन—
    (क) भवन निर्माण अथवा भवन क्रय के लिए
    (ख) भवन मरम्मत अथवा भवन विस्तार के लिए
12. प्रतिदान क्षमता के अनुसार अनुमन्य अग्रिम की धनराशि
    (क) भवन मरम्मत/विस्तार हेतु (इस हेतु ग्रेच्युटी से समायोजन नहीं होगा)
    (ख) शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 के अनुसार ग्रेच्युटी से 70 प्रतिशत के समायोजन के फलस्वरूप भवन निर्माण अथवा भवन क्रय हेतु अनुमन्य धनराशि
13. ग्रेच्युटी से समायोजन की धनराशि
14. वसूली हेतु मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रत्येक किस्त की धनराशि—प्रमाणित किया जाता है कि—
    (1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण शासनादेश संख्या बी-3-3217/दस-94-1(10)/92, दिनांक 12-7-1994 के निर्देशों के अनुसार कर लिया गया है और संगत नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

(2) श्री................(कर्मचारी का नाम) को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार (जो भी स्थित हो) अग्रिम अन्यथा अनुमन्य है तथा अग्रिम की स्वीकृति के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(3) नियम 244-एच(2) के शिथिलीकरण से किसी अन्य नियम का उल्लंघन नहीं होता है।

(4) श्री............(कर्मचारी का नाम) का प्रकरण ''प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त'' के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है।

(5) अग्रिम की प्रतिभूति में शासन के पक्ष में बन्धक रखी जाने वाली सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) समस्त भारों से मुक्त है, उस पर श्री.............(कर्मचारी का नाम) को पूर्ण एवं निर्विवाद स्वामित्व प्राप्त है/होगा और अग्रिम की प्रतिभूति में संपत्ति को शासन के पक्ष में बन्धक रखने में किसी प्रकार की विधिक बाधा नहीं है। इस सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के नियम 244 (आई) की अपेक्षा अनुसार मैंने अपने को संतुष्ट कर लिया है।

(6) स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अग्रिम को रुपये................की धनराशि निर्धारित प्रतिदान क्षमता के अन्तर्गत है।

(7) श्री......................(जिनका अवशेष सेवाकाल 10 वर्ष से कम है) के अनुरोध पर उनको देय ग्रेच्युटी से 70 प्रतिशत की धनराशि के समायोजन की दशा में भवन निर्माण/क्रय हेतु प्रस्तावित अग्रिम में से रुपये............जो उनके वर्तमान वेतनमान में अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त के फलस्वरूप देय ग्रेच्युटी का 70 प्रतिशत निर्माण/क्रय हेतु प्रस्तावित अग्रिम में से रुपये ....जो उनके वर्तमान वेतनमान में अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप देय ग्रेच्युटी की 70 प्रतिशत है, की धनराशि का ब्याज सहित समायोजन उनको देय ग्रेच्युटी से कर लिया जायेगा।

(8) अग्रिम की वसूली हेतु मासिक किश्तों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि ग्रेच्युटी के समायोजन की उक्त धनराशि को छोड़कर अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली श्री................(कर्मचारी का नाम) की सेवा निवृत्ति के पूर्व उनके वेतन से अवश्य हो जायेगी।

(9) श्री.................(कर्मचारी का नाम) के वेतन से हो रही अन्य कटौतियों के साथ-साथ अग्रिम की वसूली हेतु निर्धारित मासिक किश्त की भी वसूली सम्भव है और समस्त कटौतियों के बाद मिलने वाले शुद्ध वेतन से श्री..............(कर्मचारी का नाम) को अपने जीवन यापन में साधारणतया कोई कठिनाई नहीं होगी।

मैंने उपलब्ध अभिलेखों एवं उक्त सूचना के आधार पर इन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने को संतुष्ट कर लिया है और श्री...........................(कर्मचारी का नाम) का अवशेष सेवाकाल 10/5 वर्ष से कम रह जाने के कारण उन्हें भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार (जो भी स्थिति हो) अग्रिम की स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या बी-3-4166/दस-95-10(29)/95, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 के अन्तर्गत प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 नियम 244-एच(2) के शिथिलीकरण के आदेश प्रदान करता हूँ।

सक्षम अधिकारी के

हस्ताक्षर.............................

पदनाम.............................

दिनांक.............................